

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल

क्रमांक 5789-93 एमसी/4/राज/स्था/2022

भोपाल दिनांक 14/11/2022

// संशोधित विज्ञापन //

अधिष्ठाता कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक 43415-26/एमसी/स्था/राज/2022 भोपाल दिनांक 03.11.2022 को विज्ञापित की गई थी जिसके बिंदु क्रमांक 05, एनेस्थेसिया विभाग के 06 पद विज्ञापित हुये थे जिनको अधिष्ठाता कार्यालय के पत्र क्रमांक 5659/एमसी/स्था/राज/2022 भोपाल दिनांक 09.11.2022 की सूचना द्वारा निरस्त किया गया जोकि पुनः विज्ञापित किया जा रहा है।

विस्तृत जानकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के वेबसाइट www.gmcbhopal.net पर उपलब्ध है।

आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति एवं अनारक्षित श्रेणी के आवेदक को 1000 रु एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदक को 500 रु (डी.डी. के माध्यम से जमा कर छाया प्रति संलग्न करें) के साथ दिनांक 21.11.2022 सांय 05 बजे तक स्वयं अथवा पोस्ट द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की आवक शाखा में जमा कर सकते हैं। निर्धारित अवधि उपरांत प्राप्त आवेदनो पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

सीनियर रेसीडेन्ट रिक्त पदों की जानकारी

S.NO.	SUBJECT	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.ज.जा.	अ.जा.	ई.डब्लू.एस.	कुल
01	ANESTHESIA	02	—	01	02	01	06

उपरोक्त चिन्हित पदों में अ.जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. = अन्य पिछड़ा वर्ग, के उम्मीदवारो हेतु आरक्षित है। सीनियर रेसीडेन्ट का वेतन - 76000/- (निर्वहन भता) अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित ।

1. संभागायुक्त भोपाल संभाग, भोपाल ।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, हॉस्टल ब्लॉक ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जीं ।
4. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की Website पर ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल

SENIOR RESIDENT CHECK LIST

Name of Candidate.....Category.....

Subject/Post & Category applied for.....

Option & Drafts.....Total No of Drafts.....

Contact No.....

Documents

1. High School /Higher Secondary.Date of Birth & Age.....
2. MBES Marks Aggregate/Total.....Percentage(%).....35%
Name of College.....
3. MBBS Degree University Name.....
4. Internship Completion Certificate.....
5. MD/MS/MCh Degree/MSc/PH.D.....Year of Passing.....
Name of College.....Registration No.....
6. PG Attempts 1st /2nd /3rd.....
7. Higher Qualification DM/MCH.....
8. Post PG Experience
9. Publications/Presentation in indexed Journal Nos.....
.....Nations/state.....
10. Cast Certificate
11. Domicile Certificate(M.P.).....
12. MBBS Registration No.(State).....State Council
13. MD Registrations (State).....State Council
14. Employer's NOC if working.....

Declaration-I hereby declare that I am working / Not working in any Govt./Semi Govt. ~~institution~~ at present.

Name & Signature of Candidate

(Name & Signature of Scrutiny officer)

Signature of Chairman

आवेदन पत्र का प्रारूप

गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी समिति, भोपाल(मध्यप्रदेश)

सीनियर रेसीडेंट

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष-2022

विज्ञापन क्रमांक.....	फोटो मय हस्ताक्षर
अंतिम तिथि.....	
विषय.....	

नोट – सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूरा की जावे।

1. बैंक ड्रॉपट क्रमांक.....दिनांक..... राशि.....
बैंक का नाम.....
2. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/कु./डॉ.....
3. आवेदक का (लिंग).....पुरुष/महिला.....
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
6. दूरभाष क्रमांक.....मोबाइल क्रमांक.....
स्थायी पता.....
.....
दूरभाष क्रमांक.....मोबाइल क्रमांक.....
7. जन्मतिथि (हाई स्कूल/हायर सेंकेंड्री परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)
8. अंतिम तिथि को आवेदक की आयु.....दिन.....माह.....वर्ष.....
9. क्या आप म.प्र. के मूल निवासी हैं – हाँ/नहीं.....
10. जन्म स्थान की जानकारी – शहर.....जिला.....राज्य.....
11. बॉण्डेड कैंडिडेट है/अथवा नहीं ।
12. प्रमाण-पत्र यदि विद्यार्थी शाखा (गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल) में जमा है तो उसका प्रमाण – पत्र संलग्न करें।
13. वर्ग – अनारक्षित/अनु.जाति/अनु. जनजाति /अ. पि. वर्ग/आ.क.व.

.....

(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

14. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं राज्य का नाम.....
(मेडिकल काउंसिल का स्थायी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

015. शैक्षणिक योग्यताए :- (प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

16. व्यावसायिक अनुभव :-

क्र.	पदनाम	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	अशैक्षणिक/ शैक्षणिक	अवशि
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

17. सेवारत है, तो नियोक्ता का नाम, पद, स्थान.....

(अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।

18. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम.....

वचन पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा

आवेदन पत्र/ नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मुझ पर चिकित्सा महाविद्यालय के संवर्धन एवं संविलियन तथा भर्ती नियम पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे। इन नियमों में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर.....

आवेदक का पूरा नाम.....

घोषणा पत्र

मै, यह घोषण करता /करती हूँ कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में होने वाली सीनियर /जूनियर रेसिडेंट के पद के लिये साक्षात्कारी में उपस्थित हुआ/हई हूँ इसके अतिरिक्त मैं अन्य किसी शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हूँ अगर कार्यरत पाया जाता हूँ/जाती हूँ तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

दिनांक

आवेदक का नाम

हस्ताक्षर

सीनियर रेसीडेन्टस पात्रता :-

1. सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
2. चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होंगी।

अपात्रता:-

1. एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
2. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
3. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
4. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
5. बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।
6. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जायेगी।

चयन विधि :-

- (i) अधिष्ठाता द्वारा नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाईट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञापित जारी की जायेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
- (ii) चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता दिज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
- (iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है उसी विषय के लिए पात्रता होगी।
- (iv) चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।
- (v) विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा।
- (vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
- (vii) ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- (viii) साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियाँ रहने पर निजी चिकित्स महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

टेन्युर (Tenure):-

- (i) टेन्युर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- (ii) 01 वर्ष की टेन्युर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा व आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
- (iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के सम्बन्ध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त

होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :-

- (i) राज्य शरान द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- (ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।
- (iii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेंगी।

अवकाश :-

सीनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

वेतन भत्ते :-

- (i) एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी/डिप्लोम/एम.डी.एस उत्तीर्ण एवं चयनित उम्मीदवार को निर्वाहन भत्ता 76000/- देय होगा। अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- (ii) प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

टीप :-

- (i) जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेंट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरुद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरुद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

आवेदन शुल्क:-

1. सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ रु. 1000/- एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को रु. 500/- का बैंक ड्रॉपट अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल के नाम संलग्न करना/आवेदन शुल्क की रसीद अधिष्ठाता कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन के साथ देना अनिवार्य होगा। जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, यदि अनारक्षित श्रेणी के पद हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें रु. 1000/- का बैंक ड्रॉपट देना होगा।
2. उपरोक्त नियम व शर्तें शासन के पत्र क्रमांक 1200-02/स्था/राज/2021 भोपाल, दिनांक 24.12.2021 होंगी।